



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265711
CG-DL-E-26082025-265711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947

No. 531]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 575(अ) .—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, नागालैंड सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः

1.(i) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में—

(क) अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा में समय-मान से ऊपर वेतन वाले पदों में, तालिका में, पहले कॉलम में आने वाली "नागालैंड" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"नागालैंड"

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्य वन संरक्षक, निगरानी एवं मूल्यांकन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जैव-विविधता एवं अनुसंधान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वन संरक्षक, (विकास एवं योजना)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
वन संरक्षक, उत्तरी प्रादेशिक सर्किल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक, दक्षिणी प्रादेशिक सर्किल	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक-अनुसंधान, योजना और उपयोजन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
निदेशक, इटांगकी राष्ट्रीय उद्यान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क"

ख) अनुसूची-II ख में, नागालैंड प्रविष्टि के लिए समय-मान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"उप वन संरक्षक(प्रादेशिक), दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, मोन, पेरेन, फेक, तुएनसांग, वोखा और जुन्हेबोटो)
उप वन संरक्षक, कार्य योजना अधिकारी
उप वन संरक्षक, वन वृक्ष विज्ञानी
उप वन संरक्षक मुख्यालय

उप वन संरक्षक/निदेशक (प्राणी उद्यान)
उप वन संरक्षक (लोंगलेंग) और (किफाइर)"

[सं.16016/01/2023 – अ.भा.से-II (ख)]

भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

नोट: प्रधान नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 28 सितंबर, 2016 के सा.का.नि. सं. 924 (अ) के माध्यम से प्रकाशित और बाद में निम्नलिखित सा.का.नि.सं. एवं दिनांक द्वारा संशोधित किए गए थे:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1105अ	30.11.2016
2.	1107	30.11.2016
3.	172 अ	27.02.2017
4.	180 अ	28.02.2017
5.	206 अ	08.03.2017
6.	262 अ	17.03.2017
7.	1003(अ)	08.08.2017
8.	1036(अ)	18.08.2017
9.	1452(अ)	27.11.2017
10.	1537(अ)	21.12.2017
11.	1587(अ)	27.12.2017
12.	511(अ)	29.05.2018
13.	289(अ)	04.04.2019
14.	338 (अ)	23.05.2025
15.	408(अ)	24.06.2025

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

G.S.R. 575(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, in consultation with the Government of Nagaland hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016 namely:-

- (i) These rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016:-

(a) In Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table, for the entry “Nagaland” appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely:-

“Nagaland”

Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force	Level 17 in the Pay Matrix
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	Level 16 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Environment and Climate Change)	Level 15 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Territorial)	Level 15 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests, Monitoring and Evaluation	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests, Headquarters	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests, Environment, Bio-diversity & Research	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (Development and Planning)	Level 14 in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Northern Territorial Circle	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Southern Territorial Circle	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Research, Planning and Utilization	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests, Publicity and Training	Level 13A in the Pay Matrix
Director, Intangki National Park	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Wildlife)	Level 13A in the Pay Matrix”

(b) In Schedule-II B, Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry Nagaland, the following shall be substituted, namely:-

“Deputy Conservator of Forests, (Territorial) Dimapur, Kohima, Mokokchung, Mon, Peren, Phek, Tuensang, Wokha and Zunheboto)
Deputy Conservator of Forests, Working Plan Officer
Deputy Conservator of Forests, Silviculturist
Deputy Conservator of Forests, HQ
Deputy Conservator of Forests/Director (Zoo)
Deputy Conservator of Forests (Longleng) & (Kiphire)”

[F. No. 16016/01/2023 - AIS-II (B)]

BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 924 (E) dated the 28th September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	1105E	30.11.2016
2.	1107	30.11.2016
3.	172 E	27.02.2017

4.	180 E	28.02.2017
5.	206 E	08.03.2017
6.	262 E	17.03.2017
7.	1003(E)	08.08.2017
8.	1036(E)	18.08.2017
9.	1452(E)	27.11.2017
10.	1537(E)	21.12.2017
11.	1587(E)	27.12.2017
12.	511(E)	29.05.2018
13.	289(E)	04.04.2019
14.	338 (E)	23.05.2025
15.	408(E)	24.06.2025